कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) गरियाबंद (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक 3133 / EMRS/आदि.वि./2025–26 गरियाबंद, दिनांक 02/01/2026

उप सचिव, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के पत्र कमांक/129/2025–26 दिनांक 09.10.2025 में दिये गये निर्देशानुसार जिला स्तर पर एकव्य आवासीय विद्यालय के संचालन एवं नियंत्रण हेतु समिति गठित करने के निर्देश है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यालयीन आदेश कमांक/3149/आदि.वि./एकलव्य./2020 गरियावंद दिनांक 15.04.2020 में जारी आदेश को अतिकमित करते हुए जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयो जिला–गरियाबंद के संचालन एवं नियंत्रण हेतु निम्नानुसार नवीन जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:–

1. जिला कलेक्टर – अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी – सदस्य
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग – सदस्य
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला गरियाबंद – सदस्य
5. उप प्राचार्य या वरिष्ठ शिक्षक एकलव्य विद्यालय – सदस्य
   1/श्री विकास सिहाग, पी.जी.टी. रसायन एकलव्य कोसमबुड़ा
   2/श्रीमती संध्या तिवारी, पी.जी.टी. हिन्दी एकलव्य मैनपुर
6. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास गरियाबंद – सदस्य
7. प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय पाण्डूका – सदस्य
8. दो पालक प्रतिनिधिगण महिला/पुरूष – सदस्य
   1/ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोसमबुड़ा
   1 श्री डोमार सिंह ध्रुव
   2 श्रीमती परागा ध्रुव
   2/ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपुर
   1 श्री रामनाथ मरकाम
   2 श्रीमती केसरी
9. संबधित संस्था के प्राचार्य, ई.एम.आर. एस . कोसमबुड़ा/देहारगुडा – सदस्य सचिव

E: hostel data /EKLAVYA\jati\eklavya

Scanned with OKEN Scanner

उक्त समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व होगें:–

1. नेस्ट के द्वारा विद्यालय के लिए जुटाए गए धन से होने वाले व्यय पर नियंत्रण रखना, उचित अभिरक्षण, सही वितरण और खातों का सटीक रखरखाव सुनिश्चित करना।
2. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करना और उसकी जांच करना, जिसमें आवत और नए व्यय मदों (जैसे, फर्नीचर, उपकरण, गैर–मरम्मत योग्य भवन मद) के औचित्य का वर्णन करना शामिल है।
3. विद्यालय के सुचारू संचालन और कार्यप्रणाली पर सामान्य पर्यवेक्षण करना, जिसमें छात्रें और कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखना शामिल है।
4. विद्यालय के सुचारू संचालन पर सामान्य पर्यवेक्षण करना, जिसमें छात्रें और कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखना शामिल है। पअ.
5. खानपान और समग्र कल्याण प्रबंधन सहित छात्रवासों के कामकाज की निगरानी करना।
6. विद्यालय के प्रभावी संचालन के लिए किसी भी सुधार, संशोधन या प्रक्रियात्मक परिवर्तन के लिए सुझाव देना।
7. संस्था के कामकाज और विकास को मजबूत करने के लिए स्कूल को स्थानीय सहायता और सहयोग प्राप्त करने में सहायता करना।
8. विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना और उसे अनुमोदित करना।

02/1/26.

कलेक्टर,
जिला–गरियाबंद

पृ.क्र./3734/ EMRS/आदि.वि./2025–26 गरियाबंद, दिनांक 02/01/2026

प्रतिलिपि :–

1 आयुक्त/सचिव, छ.ग. राज्य स्तरीय आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2 आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 कलेक्टर, जिला गरियावंद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

E: hostel data /EKLAVYA\jati\eklavya

Scanned with OKEN Scanner

4 परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिम जाति विकास परियोजना गरियाबंद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5 सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास गरियाबंद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6 जिला शिक्षा अधिकारी जिला गरियाबंद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

7 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग जिला गरियाबंद

8 जिला चिकित्सा अधिकारी जिला गरियाबंद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

9 प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय पाण्डूका, जिला गरियाबंद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

10 प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोसमबुड़ा/मैनपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

11 सर्व संबंधित माननीय सदस्य .... जिला–गरियाबंद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर,
जिला–गरियाबंद

E: hostel data /EKLAVYA\jati\eklavya

Scanned with OKEN Scanner